न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 37/2020 निर्णय दिनांक 05.1.2022

जीसीएसएमएस पोर्टल नम्बर 2020/00069

गोविन्दराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

वादी

—बनाम—

1. बीरबलराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ
2. हनुमानाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:—

1. श्री राजूराम बाना अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए सपंठित धारा 136 एलआरएक्ट 1956

यह वाद गोविन्दराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 845/843 तादादी 0.1400 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 852/167 तादादी 0.2500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम से खसरा नम्बर 853/167 तादादी 2.3800 हैक्टेयर रोही बाना में स्थित है। यह है कि वादगत खेत पुराने खसरा नम्बर 486/91 तादादी 26 बीघा से कायम हुए है वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 से 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2005 को खरीद की थी। खरीद के बाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के खसरा नम्बर 845/843 तादादी 0.1400 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 852/167 ताादादी 0.2500 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के खसरा नम्बर 853/167 तादादी 2.3800 हैक्टेयर हिस्से पाती में आये हुए है उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मौके पर कब्जा काश्त लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। यह है कि राजस्व नक्शा सीट में वादी के खेत खसरा नम्बर 853/167 तादादी 0.2500 हैक्टेयर की तरमीम मौके कब्जे एवं कायम सीमाओ के बिल्कुल विपरीत कर दी जो मौके पर कायम सीमाओ एवं कब्जे काश्त के बिल्कुल विपरीत है जिनको मोके कब्जे काश्त के अनुसार वादी राजस्व नक्शा में तरमीम करवाने का अधिकारी है। यह है कि वादी का कब्जा काश्त सलग्न नक्शानुसार कायम है मोके पर बीदासर सड़क से पश्चिमी तरफ कब्जा काश्त वादी का एवं पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का कायम है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी के सीमाए कायम है तार पट्टिया लगाई हुई है। यह है कि खसरा नम्बर 852/167 तादादी 0.2500 हैक्टेयर की तरमीम राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के अनसार होनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने वादी के खसरे की तरमीम मौके के विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के कब्जे काश्त में कर दी जिसको वादी मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह है कि वादी वादी ने दिनांक 14.07.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता3 के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसको वादी ने प्रतिवादी से मौके कब्जे के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया वाद की इनकारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। यह है कि वादी के खेत की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। जिसको मौके कब्जे के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। यह है कि वादग्रस्त भूमि रोही बाना में स्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। यह है कि दावा जानकारी के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय् शुल्क पर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:17:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें का निवेदन किया गया है:–

(क) कि खसरा नम्बर 845/843 तादादी 0.1400 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 852/167 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 853/167 तादादी 2.3800 हैक्टेयर रोही बाना की तरमीम मौके कब्जे एवं सलग्न नक्शानुसार घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि खसरा नम्बर 845/843 तादादी 0.1400 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 852/167 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 853/167 तादादी 2.3800 हैक्टेयर रोही बाना की राजस्व नक्शे में तरमीम सलग्न नक्शा एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 एवं स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में आपति नहीं होनें व वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 845/843 तादादी 0.1400 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 852/167 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 853/167 तादादी 2.3800 हैक्टेयर रोही बाना की राजस्व नक्शे में तरमीम सलग्न नक्शा एवं मौके कब्जे के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाना का आदेश दिया जाता है। संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.1.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:17:17 IST
Reason: SelfAttested